

फार्म
.....20)..... वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति विवरण (as on 01.01.201 -)

1. अधिकारी का नाम
(पूरा नाम व सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है।)
2. वर्तमान पद वर्तमान वेतन.....

उस जिले, उप-खण्ड, तालुक और ग्राम का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है।	आवासीय भूमि और अन्य भूखण्ड आदि की सम्पत्ति का नाम व प्लॉट नंबर।	वर्तमान मूल्य	यदि अपने स्वयं के नाम में नहीं है तो बतायें कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है ?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिससे अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तिता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

दिनांक
(जो अंश खत्म न हो काट दें।)

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम/पेड़.....
रौप/लेखा संख्या.....
कार्यालय का नाम.....

- (2.) जिन मामलों में सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता है तो वर्तमान स्थितियों के हवाले से मूल्य बतायें।
टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के 17.09.56 के का.प्र.सं. (165)/ई-1/56 के अनुसार इस घोषणा पत्र को सेवा के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके द्वारा सारी अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा चाहे अपने नाम में हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा उसके द्वारा पट्टे पर अथवा बंधक ली गई अपनी प्रकृत निधुक्ति के समय भर कर देना अनिवार्य है और उसके पश्चात हर वर्ष देना होगा।